न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2831–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–05–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक–272/निग0/2011–12

....

मथुरा प्रसाद जायसवाल तनय रामसहाय जायसवाल
निवासी–ग्राम रामगढ़, तहसील गोपदबनास,
जिला–सीधी(म0प्र0)

–––––––आवेदक

विरूद्ध

1– आशीष कुमार जायसवाल तनय प्रेमलाल जायसवाल
2– अमित कुमार जायसवाल तनय प्रेमलाल जायसवाल
3– अश्वनी कुमार जायसवाल तनय प्रेमलाल जायसवाल
4– प्रेमलाल जायसवाल तनय नकछेदी लाल जायसवाल
5– श्रीमती मिथिलेश जायसवाल पुत्री नकछेदी लाल जायसवाल
निवासी–ग्राम दक्षिण करौदिया, तहसील

–––––––अनावेदकगण

....

श्री आर0एन0 साहू, अभिभाषक, आवेदक
श्री अमरेन्द्र अग्निहोत्री, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–सीधी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–05–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कोटहा स्थित आराजी क्रमांक 81/1, 81/1/1 एवं 81/3 किता 3 रकबा 0.052 है0 का नामांतरण कराने हेतु अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार गोपदबनास के समक्ष पेश किया । तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 29/अ–6/2007–08 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 20.03.2008 में नामांतरण आदेश अनावेदकगण के पक्ष में पारित किया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के न्यायालय में अपील मय धारा 5 का आवेदन पेश किया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 396/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 द्वारा अपील मय धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के न्यायालय में पेश किया । जहां प्रकरण क्रमांक 272/निग0/2011–12 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 11.05.2012 से निगरानी स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया । अपर कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 11.05.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि अनावेदक क्र0 1 लगायत 3 स्व0 नकछेदी के नाती है तथा अनावेदक क्र0 4 प्रेमलाल जायसवाल पुत्र है। जो यह जानते हुये कि उक्त आराजियात पर चाचा आवेदक मथुराप्रसाद का आधा हिस्सा है तथा मकान व आबदी है। लेकिन षड़यंत्र कर व आवेदक की हिस्से का भी स्व0 नकछेदी लाल के नाम थी का फर्जी व कूटरचित वसीयतनामा अपने पुत्रों के नाम से बनाकर चोरी–चोरी नामांतरण करा लिया तथा आवेदक को उसके मकान से बेदखल निकालने का प्रयास करने लगा तब आवेदक ने अपील दायर किया है, जिसे अधीनथ न्यायालय ने नज़रअंदाज किया है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक ने अपने अपील में जानकारी दिनांक से एक–एक दिन का समय लिखा है तथा उसके समर्थन में अपना शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया था । विधि का सिद्धांत है कि न्याय का उद्देश्य पूरा होगा जब प्रकरण गुण–दोष पर निराकृत किया जाये, जिससे दुखित पक्षकार को न्याय मिल सके। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक अपने लिखित तर्क में यह मुख्य आधार लिया कि अनावेदक क्र0 1 से 3 के द्वारा रिस्तेदारी में इस बात की सोहरत की कि उनके द्वारा आवेदक को दिनांक 20.04.2010 को हुई तब ओवदक ने कलेक्ट्रेट आकर तहसील कार्यालय में उक्त प्रकरण की खोजबीन कराई, जिसकी जानकारी दिनांक 22.04.2010 को हुई तब नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल मिलने पर आवेदक ने दिनांक 26.04.2010 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवा करके बिना विलंब के अपील प्रस्तुत की । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास, जिला—सीधी ने अपील के दोनों पक्षों को धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के आवेदन पर सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 23.08.2011 से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील को समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया जाना मानते हुये अपील को गुण—दोष पर सुनवाई में लिये जाने का आदेश दिया, जिस आदेश से व्यथित होकर अपर कलेक्टर के न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 50 के तहत दिनांक 27.08.2011 को निगरानी प्रस्तुत की, जिस निगरानी आवेदन पर अपर कलेक्टर सीधी ने आवेदक व अनावेदकगण को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 11.05.2012 से अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 को अपास्त कर अनावेदकगण की निगरानी स्वीकार कर ली, जिस आदेश के ही खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय का आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी दायर की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ग्राम कोटहा तहसील गोपदबनास, जिला—सीधी के भूमि खसरा क्रमांक 81/1, रकबा 0.04 एकड़, 81/1/1 रकबा 0.05 एकड़ तथा 81/3 रकबा 0.04 एकड़ के भूमियों में आवेदक न तो किसी प्रकार का हितबद्ध पक्षकार है और न ही सह—भूमिस्वामी ही है। इस कारण से तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.03.2008 से इस निगरानी से संबंधित भूमियों का जो नामांतरण अनावेदक क्र0 1 से 3 के नाम किया गया है वह नामांतरण आदेश मात्र आवेदक को उक्त नामांतरण के प्रकरण में पक्षकार न बनाये जाने के कारण नामांतरण आदेश दिनांक 27.03.2008 अवैध नहीं सिद्ध हो रहा है और जहां तक इन निगराधीन भूमियों में आवेदक के स्वत्व व हक का प्रश्न है सिविल न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 सीधी, जिला—सीधी(म0प्र0) के व्यवहार वाद क्रमांक 147ए/2011 मथुरा प्रसाद जायसवाल

बनाम आशीष कुमार आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 19.11.2015 से निर्णीत हो चुका है। इस निगरानी से संबंधित भूमियों में आवेदक का किसी भी प्रकार का हक व हित नहीं है। अतः इस तथ्य व परिस्थितियों के आलोक में अनावेदकगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया है कि आवेदक मथुरा प्रसाद जायसवाल जिसके द्वारा दीवानी दावे के साथी राजस्व न्यायालय में कालावधि–बाधित अपील भी दायर किया था, जिसके संबंध में अपर कलेक्टर सीधी के न्यायालय से आवेदक की अपील कालावधि–बाधित मान करके अनावेदकगण की निगरानी को स्वीकार करते हुये सिविल कोर्ट के निर्णय व डिक्री दिनांकित 19.11.2015 के आलोक में पेश की गई निगरानी को खारिज किया जावे।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। ग्राम कोटहा तहसील गोपदबनास की वादग्रस्त आराजी के खसरा की प्रति 2002–03 से वर्ष 2006–07 के अनुसार वादग्रस्त भूमियां नकछेदी लाल पिता रामसहाय जायसवाल के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियां थी। उक्त वादग्रस्त भूमियों में आवेदक का नाम मात्र सह–खातेदार के रूप में अंकित था। आवेदक का यह तर्क कि षड़यंत्र द्वारा उसे उक्त भूमि से बेदखल किया जा रहा है, जब आवेदक उक्त भूमि पर कोई हक अथवा स्वत्व ही नहीं रखता, मात्र उसका का नाम सह–खातेदार के रूप में अंकित है तो यह तथ्य कैसे मान्य किया जा सकता है कि उक्त आराजी पर आवेदक का अधिकार है। अतः आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया है लेकिन म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील समय सीमा में मान्य करने का आदेश पारित किया है, जो अवैधानिक है। ऐसा आदेश कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण में पूर्व में सिविल वाद प्रचलित था। जिसमें सिविल न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0) के व्यवहार वाद क्रमांक 147ए/2011 मथुरा प्रसाद जायसवाल बनाम आशीष कुमार आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 19.11.2015 से निर्णीत हो चुका है। चूँकि सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश राजस्व न्यायालय

में बंधनकारी होता है। ऐसे में पुनः प्रकरण का निराकरण किस स्तर पर किया जा सकता है। अपर आयुक्त ने सिविल न्यायालय द्वारा पारित किये गये बिन्दुओं पर ध्यान रखते हुये ही अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की है। अतः अपर आयुक्त रीवा ने जो आदेश पारित किया है उसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती, और वैसे भी आवेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उक्त वादग्रस्त भूमि आवेदक के अधिपत्य की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,